

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय
विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये
कुल ₹ 6,71,70,000/- (छः करोड़ इकहत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का
आवंटन। पटना, दिनांक-25/4/ 2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य
कार्यालय विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल
₹ 6,71,70,000/- (छः करोड़ इकहत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित
किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
 13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिघान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांक-

2017

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,71,70,000/- (छः करोड़ इकहत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,71,70,000/- (छः करोड़ इकहत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
 13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

9

ज्ञापंक-5/बजट 1-01/2017 सा०-..... /

पटना, दिनांक- 25/4/ 2017


प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-101-आयुक्त-0001-मुख्य कार्यालय) आवंटन:-

क्र० सं०	कूट संख्या	प्रमंडल का नाम	पटना	मगध, गया	तिरहुत, मुजफ्फरपुर	सारण, छपरा	दरभंगा	कोशी, सहरसा	पूर्णिया	मुंगेर	भागलपुर	कुल योग
		प्राथमिक इकाई										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 01	वेतन	33,00,000	29,00,000	29,00,000	26,00,000	29,00,000	29,00,000	33,00,000	33,00,000	29,00,000	270,00,000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	41,00,000	36,00,000	36,00,000	32,00,000	36,00,000	36,00,000	41,00,000	41,00,000	36,00,000	335,00,000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	50,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	26,50,000
4	01 06	चिकित्सा भत्ता	40,000	35,000	35,000	20,000	35,000	35,000	20,000	20,000	30,000	2,70,000
5	01 07	अन्य भत्ता	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	75,000
6	वेतन-भत्ता का योग		75,00,000	69,45,000	69,45,000	62,25,000	69,45,000	69,45,000	76,25,000	76,25,000	67,40,000	634,95,000
7	11 01	यात्रा व्यय	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	2,00,000
8	13 01	कार्यालय व्यय	1,50,000	1,00,000	80,000	1,00,000	1,00,000	70,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	9,00,000
9	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	1,00,000	1,00,000	1,00,000	60,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	60,000	80,000	8,00,000
10	13 03	दूरभाष	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	20,000	25,000	25,000	10,000	2,25,000
11	13 04	विद्युत प्रभार	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	9,00,000
12	13 06	वर्दी / पोशाक	5,000	8,000	5,000	5,000	5,000	10,000	2,000	2,000	8,000	50,000
13	20 01	आतिथ्य व्यय	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1,00,000	10,000	10,000	2,00,000
14	28 02	संविदा सेवाएँ	30,000	50,000	50,000	40,000	50,000	40,000	50,000	40,000	50,000	4,00,000
योग :-			79,45,000	73,73,000	73,40,000	65,90,000	73,65,000	73,15,000	81,32,000	79,82,000	71,28,000	671,70,000

(छ: करोड़ इकहत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र।


 सरकार के अपर सचिव
 सामान्य प्रशासन विभाग